

11.03.2024:- पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वकील वादी उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण बाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

